एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल -462024
(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

सन्दर्भ/Ref. .... 1978/ 622/प्रशा/एमपीसीडीएफ/2022 Date 18/06/2022

प्रति,

प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर (बुन्देलखण्ड)

विषयः–त्रि–स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की सूचना ।

संदर्भः–1. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक निर्वाचन/2022/256 दिनांक 03.06.2022

2. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन का पत्र कमांक एफ 19–34/2022/1/4 दिनांक 27.05.2022

3. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक एफ–37/PN–01/2022/तीन/212 दिनांक 27.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

उपमहाप्रबंधक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः

1. महाप्रबंधक (क्षे0सं0/समन्वय) एमपीसीडीएफ भोपाल।
2. उप महाप्रबंधक/प्रभारी (वित्त) एमपीसीडीएफ भोपाल।
3. प्रभारी (प्रशासन/विपणन/सं.सं./एमएंडपी) एमपीसीडीएफ भोपाल।
4. प्रभारी (आरएंडडी/गु.नि./कय/व्हीकल) एमपीसीडीएफ भोपाल।
5. स्टेनो टू एमडी, एमपीसीडीएफ भोपाल।

उपमहाप्रबंधक (प्रशासन)

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र.

rcs.election@mp.gov.in

क्रमांक/निर्वाचन/2022/256 भोपाल, दिनांक 03-06-2022

प्रति,

1. संयुक्त आयुक्त,
   सहकारिता संभाग समस्त म.प्र.
2. उप/सहायक आयुक्त,
   सहकारिता समस्त जिले म.प्र.
3. प्रबंध संचालक,
   समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/नागरिक सहकारी बैंक
   मर्यादित समस्त म.प्र.

FO | PO | OC | Mktg.
Adm. | MPCDF Bhopal Outward No 1908 10 JUN 2022 | Fin.
Pur/Veti | | Coord.
M&P | R&D | PIO (RT) | B.Smt

विषय–त्रि–स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की सूचना ।

संदर्भ–म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक/एफ–19–34/2022/1/4, दिनांक 27 मई, 2022.

–0–

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 27.05.2022 को त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 की तिथियों की घोषणा कर निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता दिनांक 27.5.2022 से 15.07.2022 तक प्रभावशील रहेगी । मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता की प्रति संलग्न है ।

अतः उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें तथा संभाग, जिला, प्राथमिक स्तर की सहकारी संस्थाओं को भी उक्तानुसार पालन करने हेतु अवगत करावें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(संजय गुप्ता)
आयुक्त, सहकारिता एवं
पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

पृ0क्रमांक/निर्वाचन/2022/256 भोपाल, दिनांक 03-06-22

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर जिला समस्त मध्यप्रदेश ।
2. उप सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र.राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी सतपुड़ा भवन भोपाल ।
4. उप आयुक्त (आई.टी) मुख्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु ।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं शाखाएं मुख्यालय भोपाल ।
   की ओर सूचनार्थ

आयुक्त, सहकारिता एवं
पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

desktop/nirvachansection/letter

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004.

– – –

क्रमांकः एफ 19–34/2022/1/4 भोपाल, दिनांक 27 मई 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

निर्वा०
30 MAY 2022

पत्र क्र. 316 आवक क्र. 31-5-22 प्रेषित दिनांक 31-5-22

विषयः त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के संबंध में।

– – –

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 27/05/2022 द्वारा त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। (छायाप्रतियां संलग्न) उक्त निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही त्रि–स्तरीय पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो दिनांक 15.07.2022 तक प्रभावशील रहेगी।

2/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता पुस्तक की प्रति संलग्न है। अतः आदेशानुसार निवेदन है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(मेहताब सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांकः एफ 19–34/2022/1/4 भोपाल, दिनांक 27 मई 2022

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/विधानसभा म.प्र. भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।

क्र 435 2022

5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
6. मान. मुख्यमंत्रीजी /मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहाय
7. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

~~महत्वपूर्ण~~
तत्काल

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email – mpsec@mp.gov.in
sopanchayat.mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक–एफ–37/PN–01/2022/तीन/212 भोपाल, दिनांक 27/05/2022

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त,मध्य प्रदेश।

विषय : त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम(समय–अनुसूची)।

******

1. **आयोग के आदेश क्रमांक एफ–37/PN–01/2022/तीन/ 211 दिनांक 27/05/2022 द्वारा त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जो कि परिशिष्ट–एक पर संलग्न है। निर्वाचन तीन चरणों में सम्पन्न होगा। विकासखण्डों की चरणवार जानकारी परिशिष्ट–दो पर संलग्न है।**
2. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–28 के अंतर्गत यथास्थिति प्ररूप–2 या 3 में, ऐसी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये निर्वाचन की सूचना जारी की जाए, जिनमें पंचों/सरपंचों/जनपद पंचायत सदस्यों/जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है।
3. निर्वाचन की सूचना (प्ररूप–2 या 3) के साथ :–
   (i) नियम–29क के अंतर्गत प्ररूप–3क या 3ख में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना,
   (ii) नियम–23(1) के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची, का भी प्रकाशन किया जाये।
4. **ऐसी पंचायतों/पदों के निर्वाचन की सूचना प्रकाशित न की जाए जिसके निर्वाचन की कार्यवाही किसी न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत स्थगित की गई हो अथवा जिसके निर्वाचन न कराये जाने के संबंध में आयोग द्वारा पृथकशः आदेश जारी किया गया हो।**
5. **ऐसी पंचायतों के निर्वाचन के लिये सूचना प्रकाशित की जाये जिनका पाँच वर्षीय कार्यकाल पूर्ण हो चुका है या नवम्बर, 2022 तक पूर्ण हो रहा हो। ऐसी ग्राम पंचायतों के पंचों तथा सरपंचो के निर्वाचन के लिये सूचना प्रकाशित न की जाये, जिनका कार्यकाल नवम्बर, 2022 के उपरांत पूर्ण हो रहा हो। तथापि इन ग्राम पंचायतों के मतदाता अपने क्षेत्रों के जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में मतदान करेंगे।**
6. नवगठित ऐसी ग्राम पंचायतों के पंचों तथा सरपंचों के लिए भी निर्वाचन की सूचना प्रकाशित की जाये, जिनमें वार्डों के परिसीमन तथा आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जिनमें पंचों एवं सरपंचों के लिए पहली बार निर्वाचन हो रहा है।
7. त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु मतदान एक से लेकर तीन **चरणों में सम्पन्न कराया जायेगा, किन्तु निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन से लेकर अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने तक की समस्त कार्यवाही सभी विकासखण्डों में एक साथ सम्पादित की जायेगी।**
8. त्रिस्तरीय पंचायतों के समस्त पदों का निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से कराया जायेगा।
9. निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियाँ मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 तथा आयोग द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार की जाए।
10. चुनाव में मतदाता को "इनमे से कोई नहीं (नोटा)" का विकल्प दिया जाये। इस हेतु मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात "इनमे से कोई नहीं (नोटा)" अंकित किया जाये और उसके सामने उसका प्रतीक (X) भी दर्शाया जाए।

11. पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु नाम निर्देशन पत्र तैयार **नवीन नाम निर्देशन पत्र प्ररूप–4** में ही अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जाये।
12. नामनिर्देशन पत्र शनिवार को भी प्राप्त किये जायेंगे।
13. **निम्नलिखित निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए :–**
    1. पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन–पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में, एक घोषणा–पत्र एवं उसके साथ "घोषणा–पत्र का सार" तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नामनिर्देशन–पत्र के साथ एक शपथ–पत्र एवं "शपथ–पत्र का सार" प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
    2. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा–36 में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नामनिर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का "अदेय प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    3. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36(1)(गघ) में जोड़े गये विद्युत बिलों की बकाया वसूली के संबंध में किये गये प्रावधानों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नामनिर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय समस्त शोध्यों का "अदेय प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    4. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नामनिर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी के पास नामनिर्देशन पत्र भरते समय जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को इस वर्ग का सदस्य होने बाबत्, जिसके लिये स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ–पत्र नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने बाबत् शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र निरस्त किया जायेगा।
    5. आयोग के आदेश क्रमांक एफ–38–01/2016/तीन/328, दिनांक 02/07/2018 द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए नवीन प्ररूप–4 निर्धारित किया गया है। नवीन प्ररूप–4 की कंडिका–18 में अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त किया जाना प्रावधानित किया गया है। उपरोक्त स्थिति में परिशिष्ट–1 (अंग्रेजी में नाम प्राप्त करना) और मिलानसूची (चेकलिस्ट) की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अतः परिशिष्ट–1 और मिलान सूची का उपयोग अब नहीं किया जायेगा।
    6. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश मतदान केन्द्र पर मतगणना नहीं हो सकेगी तो यह मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के साथ संलग्न परिशिष्ट–एक में निर्धारित दिनांक/दिन/समय पर की जाएगी।
14. निर्विरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप–24 में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा सविरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप–20, 21, 22 एवं 23 में निर्वाचन की विवरणी की प्रति सुरक्षित रखी जाए, आवश्यकता होने पर आयोग को उपलब्ध कराई जाये।
15. **निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी।**
16. त्रि–स्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित संशोधन/आदेश/परिपत्र/निर्देश आयोग की वेबसाइट *www.mplocalelection.gov.in* से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
17. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की **अभि–स्वीकृति ई–मेल द्वारा भेजी जाए।**

संलग्न :– परिशिष्ट–एक एवं दो।

27/5/2022

(राकेश सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक–एफ–37/PN–01/2022/तीन/213 भोपाल, दिनांक 27/05/2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,"मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव(कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
10. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी, भोपाल।
14. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
15. श्रमायुक्त इन्दौर मध्यप्रदेश।
16. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल, की ओर मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था हेतु अग्रेषित।
17. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
18. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
19. समस्त उप सचिव/अवर सचिव/नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
20. संयुक्त संचालक (वित्त), मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
21. स्टाफ आफिसर, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
22. जनसंपर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
23. समस्त अनुभाग अधिकारी/कंट्रोल रूम अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
24. प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
25. गार्ड फाईल।

(अजीजा सरशार जफर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन ...
58, अरेरा हिल्स भोपाल
Email - mpsec@mp.gov...
Ph.No. - 0755-255552...

// आदेश //

क्रमांक-एफ-37/PN-01/2022/तीन/311 भोपाल, दिनांक 27/05/2022

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-9(2)(क)(ख) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग तद्द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निम्नानुसार समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

स.क्र.	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख/दिन			समय
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना	28, 29	30.05.2022 (सोमवार)			प्रातः 10:30 बजे
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	29-क				
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23				
2.	नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28(क)	06.06.2022 (सोमवार)			प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	28(ख)	07.06.2022 (मंगलवार)			प्रातः 10:30 बजे से
	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28(ग)	10.06.2022 (शुक्रवार)			अपरान्ह 03:00 बजे तक
	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	38, 39	10.06.2022 (शुक्रवार)			अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	25.06.2022 (शनिवार)	01.07.2022 (शुक्रवार)	08.07.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा :-	28(ङ), 28(च)				
	(i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना	—	25.06.2022 (शनिवार)	01.07.2022 (शुक्रवार)	08.07.2022 (शुक्रवार)	मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात
	(ii) विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना	—	28.06.2022 (मंगलवार)	04.07.2022 (सोमवार)	11.07.2022 (सोमवार)	प्रातः 08:00 बजे से
	(iii) पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	—	14.07.2022 (गुरुवार)	14.07.2022 (गुरुवार)	14.07.2022 (गुरुवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(iv) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण	—	14.07.2022 (गुरुवार)	14.07.2022 (गुरुवार)	14.07.2022 (गुरुवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(v) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	—	15.07.2022 (शुक्रवार)	15.07.2022 (शुक्रवार)	15.07.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे से

27/5/2022
(राकेश सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

परिशिष्ट–दो

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन (2022)

चरणवार निर्वाचन की जानकारी

	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
		भोपाल संभाग		
1	भोपाल	फंदा	निरंक	निरंक
		बैरसिया		
2	राजगढ़	ब्यावरा	जीरापुर	नरसिंहगढ़
		राजगढ़	खिलचीपुर	सारंगपुर
3	रायसेन	सिलवानी	उदयपुरा	सांची
		बाड़ी	गैरतगंज	औ.गंज
			बैगमगंज	
4	सीहोर	सीहोर	नसरूल्लागंज	आष्टा
			इछावर	बुदनी
5	विदिशा	बासोदा	सिरोंज	कुरवाई
		विदिशा	नटेरन	ग्यारसपुर
				लटेरी
		इंदौर संभाग		
6	इंदौर	इंदौर	निरंक	निरंक
		डॉ.अम्बे.(महू)		
		सावेर		
		देपालपुर		
7	खरगोन	भगवानपुरा	महेश्वर	भीकनगांव
		झिरन्या	बड़वाह	कसरावद
		सेगांव		गोगांवा
				खरगोन
8	खण्डवा	खण्डवा	खालवा	पंधाना
		हरसूद	पुनासा	छैगांवमाखन
		बलड़ी (किल्लोद)		

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय [illegible] विकासख[illegible]
1	2	3	4	5
9	धार	निसरपुर	गंधवानी	सरदारपुर
		कुक्षी	उमरबन(बाकानेर)	नालछा
		बाग	धरमपुरी	धार
		डही	मनावर	तिरला
		बदनावर		
10	झाबुआ	पेटलावद	झाबुआ	निरंक
		थांदला	मेघनगर	
			रानापुर	
			रामा	
11	बुरहानपुर	बुरहानपुर	खकनार	निरंक
12	अलीराजपुर	चंद्र.आ. नगर (भावरा)	अलीराजपुर	सोण्डवा
		कट्ठिवाड़ा	जोबट	उदयगढ़
13	बड़वानी	सेंधवा	ठीकरी	पाटी
		पानसेमल	राजपुर	बड़वानी
			निवाली	
ग्वालियर संभाग				
14	ग्वालियर	मुरार	निरंक	निरंक
		भितरवार		
		घाटीगांव		
		डबरा		
15	गुना	गुना	राघौगढ़	आरौन
		बमोरी	चाचोड़ा	
16	शिवपुरी	खनियाधाना	पिछोर	पोहरी
		बदरवास	नरवर	करेरा
			कोलारस	शिवपुरी

27/5/2022

	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
	2	3	4	5
	अशोकनगर	अशोकनगर	ईसागढ़	मुंगावली
				चंदेरी
18	दतिया	दतिया	सेवड़ा	निरंक
			भाण्डेर	
जबलपुर संभाग				
19	जबलपुर	सिहोरा	मझौली	निरंक
		कुण्डम	पाटन	
		पनागर	शाहपुरा	
		जबलपुर(बरगी)		
20	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सोसर	मोहखेड़ा
		तामिया	पांढुरना	जुनारदेव
		हर्रई	परासिया	चौरई
		अमरवाड़ा	बिछुआ	
21	सिवनी	सिवनी	लखनादौन	केवलारी
		बरघाट	घंसौर (कहानापस)	छपारा
			धनोरा	कुरई
22	बालाघाट	बैहर	लांजी	बालाघाट
		परसवाड़ा	किरनापुर	लालबर्रा
		वारासिवनी	कटंगी	बिरसा
		खैरलांजी		
23	मण्डला	बिछिया	घुघरी	नारायणगंज
		मवई	मोहगांव	निवास
		नैनपुर	मण्डला	बीजाडोडी
24	डिण्डौरी	शहपुरा	डिण्डौरी	समनापुर
		मेहदवानी	अमरपुर	बजाग
				करंजिया

27/5/2022

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय [illegible] विकासख[illegible]
1	2	3	4	5
25	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	निरंक	निरंक
		गोटेगांव		
		करेली		
		चावरपाठा		
		बाबई चीचली		
		साईखेड़ा		
26	कटनी	विजयराघवगढ़	बड़वारा	बहोरीबंद
		ढीमडखेड़ा	कटनी	रीठी
		उज्जैन संभाग		
27	उज्जैन	बड़नगर	खाचरौद	महिदपुर
		उज्जैन	घटिया	तराना
28	नीमच	नीमच	जावद	मनासा
29	रतलाम	आलोट	बाजना	रतलाम
			सैलाना	जावरा
				पिपलोदा
30	शाजापुर	शाजापुर	मोमन बडोदिया	शुजालपुर
				कालापीपल
31	आगरमालवा	बड़ौद	आगर	सुसनेर
				नलखेड़ा
32	मंदसौर	मंदसौर	सीतामऊ	गरोठ
			भानपुरा	मल्हारगढ़
33	देवास	बागली	देवास	निरंक
		कन्नौद	टोंकखुर्द	
		खातेगांव	सोनकच्छ	

	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
	2	3	4	5
		सागर संभाग		
34	सागर	सागर	मालथौन	राहतगढ़
		रेहली	बण्डा	खुरई
		केसली	देवरी	शाहगढ़
			बीना	जैसीनगर
35	छतरपुर	छतरपुर	बड़ामलहरा	नौगांव
		राजनगर	बकस्वाहा	लवकुशनगर
			बारीगढ़ (गौरीहार)	बिजावर
36	दमोह	दमोह	जबेरा	तेंदुखेड़ा
		पथरियां	हटा	बटियांगढ़
				पटेरा
37	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	टीकमगढ़	जतारा
			पलेरा	
38	निवाड़ी	निवाड़ी	पृथ्वीपुर	**निरंक**
39	पन्ना	पन्ना	गुन्नौर	**निरंक**
		अजयगढ़	पवई	
			शाहनगर	
		रीवा संभाग		
40	रीवा	हनुमना	रीवा	सिरमौर
		मऊगंज	रायपुर कर्चुलियान	जवा
		नईगढ़ी	गंगेव	त्यौंथर
41	सिंगरौली	बैढन	देवसर	चितरंगी
42	सीधी	सिहावल	रामपुर नैकिन	सीधी
		कुसमी	मझौली	
43	सतना	चित्रकूट (मझगवा)	नागौद	रामपुर बाघेलान
		सुहावल (सतना)	अमरपाटन	मैहर
		उचहेरा	रामनगर	

27/5/2022

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
		नर्मदापुरम संभाग		
44	नर्मदापुरम	सोहागपुर केसला	सिवनी मालवा पिपरियां	नर्मदापुरम माखन नगर बनखेड़ी प्रभातपट्टन
45	बैतूल	बैतूल आमला शाहपुर	घोड़ाडोंगरी मुलताई आठनेर चिचोली	भैंसदेही भीमपुर
46	हरदा	हरदा टिमरनी खिरकिया	निरंक	निरंक
		शहडोल संभाग		
47	शहडोल	सोहागपुर	ब्योहारी जयसिंह नगर	पाली(नं1)गोहपारू बुढ़ार
48	उमरिया	उमरिया (करकेली) पाली नं. 2	मानपुर	निरंक
49	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	जैतहरी	अनूपपुर कोतमा
		चम्बल संभाग		
50	भिण्ड	मिहोना (रौन) लहार	अटेर भिण्ड	महगांव गोहद
51	श्योपुर	श्योपुरकलां	कराहल	विजयपुर
52	मुरैना	अम्बाह पोरसा	मुरैना जौरा	सबलगढ़ कैलारस पहाड़गढ़
महायोग		**115**	**106**	**92**

21/5/22

(राकेश सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग